| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>राजस्व वाद संख्या 105/2013<br>श्रीमति तीजा व अन्य बनाम सरकार<br>अर्न्तगत धारा 88,89,188, 92ए रा0का0अधिनियम 1955 |
|---|---|
| 25.08.2021 | वादीगण की ओर से मय अभिभाषक श्री सुंनील प्रजापत ने मय वकालतनामा के उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली तलब कर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया। जिस पर पत्रावली तलब होकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण श्रीमति तीजा व श्री सुरजमल के द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र वास्ते तलब किये जाने प्रकरण को विड्रो किये जाने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी मे अपना हिस्सा पारिवारिक समझोते के तहत पूर्व मे ही समाप्त कर लिया था। प्रश्नगत आराजी मे कोई हक हिस्सा वादीगण का नही है। इस कारण वादीगण उक्त वाद को आगे चलाना नही चाहते है। वादीगण के द्वारा दी गई पावर आफ अर्टोनी होल्डर स उक्त वाद सहवन से प्रस्तुत कर दिया था। जिसकी निरस्ती की सूचना अखबार मे प्रकाशित करवाई जा चुकी है। इन आधारो परवादीगण एक्त वाद को आगे नही चलाना चाहते है। अपने कथनो के समर्थन मे प्रार्थीगण वादीकण के द्वारा वाद आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये जिन्हे उनके अभिभाषक श्री सुनील प्रजापत ने पहचाना। चूंकि वादीगण स्वंय अवना वाद नही चलाना चाहते है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रो स्वीकार किया जाकर वाद की कार्यवाही को इसी स्तर पर समाप्त कर वाद को विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>(तारामति वैष्णव)<br>सहायक कलक्टर (प्र.) अजमेर<br>अजमेर |

Signature Not Verified

Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.10 15:16:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner